न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/492

प्रभूलाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–

1. शम्भूदयाल पुत्र स्व0 प्रभूलाल जाति माली निवासी रायपुरा ।
2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 प्रभूलाल जाति माली निवासी रायपुरा ।
3. राजेश पुत्र प्रभूलाल जाति माली निवासी रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. लाड बाई पुत्री स्व0 प्रभूलाल पत्नी श्री राजेन्द्र जाति माली निवासी सकतपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. सुनीता बाई पुत्री स्व0 प्रभूलाल पत्नी कालूलाल जाति माली निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
6. घांसी बाई बेवा स्व0 प्रभूलाल जाति माली निवासी रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

———अपीलान्ट

बनाम

1. सुरेश बाइ पुत्री स्व0 करणा उर्फ रामकरण पत्नी देवलाल जाति माली निवासी वार्ड नं0 11 शमशानघाट की गली रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. चमेली बाई पुत्री स्व0 करणा उर्फ रामकरण जाति माली निवासी टोडी मोहल्ला मालियों के मंदिर के पास कस्बा कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. रामजानकी बाई पुत्री प्रताप पत्नी सत्यनारायण जाति माली निवासी ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री उत्तम चन्द खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 की ओर से।
3. श्री महावीर प्रसाद बैरवा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 3 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 22.01.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.10.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कंसुआ तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 166 रकबा 0.36

हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी के खाते एवं कब्जे की भूमि है । वादग्रस्त आराजी पन्ना जी द्वारा क्रय की गई थी । पन्ना लाल जी के एक पुत्र आनन्दी लाल था । आनन्द लाल जी के दो पुत्र प्रभूलाल व रामकरण थे । रामकरण को उन्होंने पाथी बाई पत्नी भंवर लाल को गोद दे दिया था । ग्राम कंसुआ की आराजी रामकरण के गोद जाने के बाद आनन्दी लाल की मृत्यु उपरान्त प्रभूलाल एकमात्र वारिस शेष रहने से उक्त आराजी पर बहैसियत खातेदार मालिक काबिज चला आ रहा है और आनन्दी लाल जी की मृत्यु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व ही हो गई थी । उक्त आराजी का रामकरण कभी मालिक नहीं रहा । जब रामकरण ही वादग्रस्त आराजी का मालिक नहीं रहा तो उनकी पुत्रियों का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है । इसलिए कानूनन वादग्रस्त आराजी से उनका नाम हटाया जाकर वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा रिकॉर्ड में प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का नाम 1/2 हिस्से से हटाया जाकर रिकॉर्ड में इसी अनुरूप दुरूस्ती व अमल दरामद करते हुए सम्पूर्ण आराजी का वादी के तन्हा खातेदारी में दर्ज किया जावे । प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 को जरिय स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह उक्त वादग्रस्त आराजी के किसी भाग को अवैध व अवैधानिक तरीके से न तो खुर्द–बुर्द करे और न ही बेचान करे तथा वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे ।

4. प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.01.2008 को जवाबदावा पेश कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. तत्पश्चात् प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि गोद का प्रश्न केवल मात्र दीवानी न्यायालय ही निर्णित कर सकती है तथा जब तक रामकरण जी पाथी बाई के वैध रूप से गोद चले गये थे का प्रश्न दीवानी न्यायालय से निर्णित नहीं हो जावे तब तक वादी का वाद इस न्यायालय में मेन्टेनेबल नहीं है । सन् 1956 के तहत पुराने हिन्दू कानून के अनुसार विधवा को गोद लेने का अधिकार नहीं था, जिससे गोद वैध होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद मेन्टेनेबल नहीं होने से निरस्त फरमाया जावे ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.10.2015 के द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए दावा वादी खारिज कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.10.2015 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों का अवलोकन किये बिना वादीगण का वाद खारिज कर दिया । वादी अपीलान्ट का वाद सम्पूर्ण आराजी में केवल मात्र स्वयं के काश्तकारी

अधिकार होना तथा रेस्पोडेन्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करके वादी अपीलान्ट को सम्पूर्ण भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करने तथा रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का वाद था । धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केवल मात्र राजस्व न्यायालय को ही सुनने का श्रवणाधिकार प्राप्त है न कि सिविल न्यायालय को । वादी अपीलान्ट ने वाद में ना तो स्वयं को किसी का गोदपुत्र होने की घोषणा चाही और न ही रेस्पोडेन्ट के पिता स्वर्गीय श्री रामकरण का गोद अवैध होने की ही घोषणा चाही है केवल मात्र वादी अपीलान्ट को सम्पूर्ण आराजी का खातेदार काश्तकार होने की घोषणा चाही है । ऐसी स्थिति में वादी अपीलान्ट का वाद केवल मात्र राजस्व न्यायालय के श्रवण योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.10.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 07, नियम 11 में दावा वादी खारिज करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर नहीं किया है कि वादी अपीलान्ट का सम्पूर्ण वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हक घोषणा का था जिसको राजस्व न्यायालय द्वारा ही सुना जा सकता है न कि सिविल न्यायालय फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अनुचित तरीके से वाद वादी खारिज किया है । न तो गोदपुत्र घोषित होने का दावा पेश किया था और न ही गोद अवैध होने की घोषणा चाही है । वादी के द्वारा वादग्रस्त आराजी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा की प्रार्थना की थी । सिविल न्यायालय में केवल वही वाद प्रस्तुत किया जा सकता है जिसमें वादी अपने आपको किसी का गोदपुत्र होना घोषित करवाना चाहता है अथवा वादी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध जो कि अपने आपको किसी का गोदपुत्र होना बताता है उस गोदनामे को अवैध घोषित करवाना चाहता हो किन्तु प्रस्तुत वाद में न तो वादी स्वयं को गोदपुत्र बताता है और न ही रेस्पोडेन्ट के पिता स्वयं श्री रामकरण के गोद को अवैध घोषित करवाना चाहता है । वादग्रस्त आराजी पन्ना जी की थी पन्ना जी के एक पुत्र आनन्दी लाल था तथा आनन्दीलाल के दो पुत्र प्रभूलाल वादी तथा रामकरण जो रेस्पोडेन्ट के पिता था । रामकरण अपनी बाल्यावस्था में पांथीबाई के गोद चला गया था इस कारण वह पांथीबाई का पुत्र हो गया वह आनन्दीलाल का पुत्र नहीं रहा । ऐसी अवस्था में आनन्दीलाल की सम्पत्ति में उसका कोई अधिकार नहीं रहा । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट खातेदार की हैसियत से काबिज काश्त है ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्टगण का नाम हटाया जाकर वादी का नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे । अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अपीलान्ट वादी का स्वीकार किया गया है जिसके खिलाफ इस न्यायालय में अपील पेश की गई और अपील भी खारिज की गई है । प्रस्तुत प्रकरण में वाद हक घोषणा का है और गोदपुत्र का विनिश्चय Incidental isssue है । अतः दावा राजस्व न्यायालय में ही चलने योग्य होता है । इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 14.10.2015 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में आरआरडी 2006 पेज 630, आरआरटी 2012 (2) पेज 1056, आरबीजे (5) 1998 पेज 207 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 07 नियम 11 के प्रार्थना पत्र के तहत दावा खारिज किया है । वादी ने स्वयं अपने दावे में यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी पन्ना लाल जी की थी उनके पुत्र आनन्दी लाल थे और आनन्दी लाल के दो पुत्र हुए वादी प्रभूलाल व रामकरण हुए । वादग्रस्त आराजी के खातेदार आनन्दीलाल के देहावसान के बाद उनके दोनों पुत्रों के नाम उक्त आराजी दर्ज की गई लेकिन वादी प्रभूलाल पूरी ही आराजी अपने नाम कराने के गलत इरादे से रामकरण को गोद जाने की कहानी मनगढन्त रूप से बनाकर न्यायालय को गुमराह करके पुश्तैनी भूमि को अपने नाम करवाना चाहता है । आराजी पुश्तैनी है जिसमें रामकरण को जन्म से ही अधिकार प्राप्त था । यदि तर्क के लिए अपीलान्ट की बात सही मानी जावे तो भी जिस आराजी में जन्म से अधिकार प्राप्त हैं उसमें गोद जाने से अधिकार समाप्त नहीं हो सकते । गोद का प्रश्न केवल मात्र दीवानी न्यायाल ही निर्णित कर सकता है । गोद का बिन्दु जब तक दीवानी न्यायालय से निर्णित नहीं हो जावे जब तक वादी का वाद चलने योग्य नहीं है । गोद का बिन्दु राजस्व न्यायालय द्वारा तय नहीं किया जा सकता केवल सिविल न्यायालय द्वारा ही तय किया जा सकता है । यदि गोदनामा के आधार पर वादी वादग्रस्त आराजी में हक घोषणा चाहता हो उन्हें सिविल न्यायालय से रामकरण को गोदपुत्र घोषित करवाना होगा इसके उपरान्त ही उन्हें हक घोषणा का अनुतोष दिया जा सकता है । गोद के बिन्दु को तय करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायाल को है इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.10.2015 बहाल रखा जावे । रेस्पोडेन्ट ने अपने पक्ष के समर्थन में 2009 सुप्रीम कोट केसेज पेज 273, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 22 अगस्त 2012 उद्धरत की ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा हक घोषणा का दावा यह कथन करते हुए पेश किया था कि रामकरण को पांथीबाई ने गोद लिया था इस कारण वादग्रस्त आराजी में उनका अधिकार नहीं है । राजस्व अधिकारियों ने त्रुटिपूर्ण रूप से उनका नाम 1/2 हिस्सा में दर्ज कर दिया है । अतः उनका नाम हटाकर वादी को खातेदार घोषित किया जावे । प्रतिवादीगण की ओर से आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया और कथन किया कि गोद के प्रश्न को दीवानी न्यायालय ही तय कर सकता है । इस कारण दावा मेन्टेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दावा खारिज किया है।

12. वादीगण के विद्धान अभिभाषक की मुख्य आपत्ति यह है कि अपीलान्टगण न तो गोदपुत्र घोषित करवाना चाहते हैं और न ही गोद को निरस्त कराना चाहते हैं वरन् वो हक घोषणा चाहते हैं जिसके लिए राजस्व न्यायालय ही सक्षम है और ऐसे मामले जिसमें हक घोषणा मुख्य अनुतोष है और गोद Incidental relief वहॉ राजस्व न्यायालय को ही क्षेत्राधिकार होगा । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2006 पेज 630, माननीय उच्च न्यायला यके निर्णय उद्धरत किये हैं साथ ही उन्होंने आरआरडी 2012 पेज 1056 भी उद्धरत किया है ।

13. विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने माननीय उच्च न्यायाल के निर्णय दिनांक 22 अगस्त 2012 और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निग्रय सुप्रीम कोर्ट केसेज 2009 उद्धरत किया है जिसमें यह होल्ड किया गया है कि गोदपुत्र के बिन्दु को सिविल न्यायालय ही तय कर सकता है ।

14. प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा पेश किया जा चुका है जिसमें भी यह आपत्ति उठाई गई है । ऐसी स्थिति में हमारा यह मत है कि इस बाबत् तनकी कायम कर विधि सम्मत रूप से तनकी का निस्तारण किया जाना उचित होगा न कि आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के आधार पर दावा खारिज करना । इस दृष्टि से अधीनस्थ का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

15. रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने यहॉ दौराने बहस कथन किया था कि वादग्रस्त आराजी पैतृक है जिसमें प्रतिवादी को जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो गये हैं । इस तथ्य का विनिश्चय भी पेश किये गये साक्ष्य के आधार पर हो सकता है न कि आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.10.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम की गई तनकीयात पर उभय पक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 13.03.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

17. निर्णय आज दिनांक 22.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22.1.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा